उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–2
संख्या– 1842 (1)/71–आयुष–2–2015–92/96टीसी
लखनऊः दिनाँकः 21 दिसम्बर, 2015

7821/HMB
30-12-15

उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन (होम्योपैथिक भेषजिक पाठ्यक्रम डिप्लोमा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा) विनियमावली, 2015 विषयक, अधिसूचना संख्या–1372/71–आयुष–2–2015–92/96टीसी, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0। 30-12-15
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र।
6. निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 होम्योपैथी।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना को उ0प्र0 के सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्टि के भाग–4 खण्ड–क में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. सचिव, केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

संलग्नकः–यथोक्त

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–2
संख्या–1372/71–आयुष–2–2015–92/96 टी0सी0
लखनऊ: दिनाँक 21 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8,सन 1952) की धारा–57 की उपधारा(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा बनायी गयी निम्नलिखित विनियमावली का, उक्त अधिनियम की धारा–55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, पुष्टि और प्रकाशन करते है:–

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (होम्योपैथिक भैषजिक पाठ्यकम डिप्लोमा में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा) विनियमावली,2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (होम्योपैथिक भैषजिक पाठ्यक्रम डिप्लोमा में प्रवेश के लियें प्रवेश परीक्षा) विनियमावली, 2015 कही जायेगी

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रवेश परीक्षा के लिये प्रकिया

2. (1) निजी संस्थानों को दो वर्षीय होम्योपैथिक भैषजिक पाठ्यकम डिप्लोमा संचालन करने के लिये प्रत्यायित किया गया है। समस्त होम्योपैथिक भैषजिक पाठ्यकम डिप्लोमा अध्यापन संस्थायें, उक्त पाठ्यकम में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा कराने हेतु निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन करेंगी:–

(क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को सम्पूर्ण विवरण सहित, न्यूनतम 05 वर्षों की अवधि तक वेबसाइट अद्यतन रखना और इसकी सूचना बोर्ड को उपलब्ध कराना अनिवार्य है;

(ख) एक संस्था या मान्यता प्राप्त एक से अधिक संस्थाये प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी और इसकी सूचना बोर्ड को उपलब्ध करायेंगी;

(ग) प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक चरण से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट मे अपलोड किया जाना आवश्यक है। आवेदन प्राप्त होते ही आवेदक को एक यूनीक संख्या आयोजक संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस यूनीक संख्या को काउन्सिलिंग के बाद प्रवेश के समय एवं बोर्ड में नामाकंन के समय अंकित किया जायेगा;

(घ) ऐसे आवेदक, जिन्होंने विज्ञान या गणित विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा ऐसे विषयों के साथ उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए हां और 17 वर्ष की आयु प्राप्त की हो को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी;

(ङ) समस्त संस्थाये, तत्समय प्रवृत्त आरक्षण से सम्बन्धित अधिनियम, नियम एवं

सरकारी आदेशों का अनुपालन करेगी;

(च) संस्थाये, प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, श्रेष्ठतापरक प्रवेश एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी;

(छ) प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र में 50 प्रतिशत प्रश्न विज्ञान विषय से (इण्टरमीडिएट स्तर के), 25 प्रतिशत प्रश्न अंग्रेजी–हिन्दी भाषा ज्ञान से सम्बन्धित तथा 25 प्रतिशत प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं बौद्धिक क्षमता परीक्षण से सम्बन्धित होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रश्नपत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित की जायेगी व परीक्षा सम्पूर्ण होने के 03 दिन के अन्दर प्रश्नपत्र में वर्णित प्रश्नों के उत्तर को वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है;

(ज) आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापन में होम्योपैथिक भैषजिक डिप्लोमा का परिचय, पाठ्यक्रम की अवधि, शैक्षिक अर्हता, आरक्षण नियमो एवं आवेदन का प्रारूप, प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम आदि प्रकाशित किया जाएगा;

(झ) विज्ञापन, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित किया जाएगा जिसका सार्वजनिक व्यापक प्रसार हो।

प्रवेश परीक्षा की समय सीमा

3. प्रवेश परीक्षा की चरणबद्ध समय सीमा निम्नवत् होगी :–

क्र0	चरणबद्ध प्रक्रिया	प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा	वेबसाइट को अद्यतन करने की तिथि
1.	आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना।	10 अप्रैल	
2.	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि।	31 मई	सभी आवेदित अभ्यर्थियों का विवरण दिनांक 03 जून तक प्रवेश परीक्षा आयोजक संस्था द्वारा अपलोड कर दी जायेगी तथा यूनीक संख्या वितरित की जायेगी।
3	प्रवेश पत्र जारी करना, केन्द्र का निर्धारण, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का बोर्ड से अनुरोध की कार्यवाही।	10 जुलाई	प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान कराई जायेगी।
4.	प्रवेश परीक्षा आयोजित करना।	25 जुलाई तक	प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का विवरण अगले दिन 05 बजे तक साइट से अपलोड किया जायेगा।
5.	प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित करना।	05 अगस्त तक	परिणाम उसी दिन अनन्य रूप से वेबसाइट में अपलोड किया जायेगा।
6.	काउन्सिलिंग के पश्चात् अन्तिम चयन की कार्यवाही (आवश्यकतानुसार चरणों में)।	05 अगस्त से 31 अगस्त	काउन्सिलिंग का परिणाम तुरन्त वेबसाइट में अपलोड किया जायेगा।

अद्यतन उपरोक्त उल्लिखित समय सीमा एवं विवरण को वेबसाइट पर अपलोड करने की कड़ाई से पालन अनिवार्य है। उपरोक्त उल्लिखित कैलेण्डर में किसी प्रकार संशोधन, विशेष परिस्थितियों में परिस्थितियों के उल्लेख के साथबोर्ड के अभिमत के आधारपर शासन द्वारा किया जा सकेगा।

उपरोक्त उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। निर्देशों के अनुपालन मे किसी प्रकार की शिथिलता होने पर सम्बन्धित संस्था नियमानुसार कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगी।

आज्ञा से,

(अनूप चन्द पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।